

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 1863/11-सी-FP/UP/Road/117342/2020, लखनऊ, दिनांक: नवम्बर 30, 2022

सेवा में,

1. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी।
2. वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा।

विषय:-

विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क विकास परियोजना के तहत हमीरपुर-राठ-गरौठा-गुरसराय-झांसी राज्य राजमार्ग-42 के राठ बाईपास (हमीरपुर जनपद) से गरौठा (झांसी जनपद) (मिसिंग) लिंक किमी 74.550 से किमी 110.360 तक के उच्चीकरण निर्माण कार्य हेतु जनपद-हमीरपुर में प्रभावित 4.068 हे० आरक्षित एवं 1.0684 हे० संरक्षित वनभूमि कुल 5.1364 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 327 वृक्षों/पौधों के पातन एवं जनपद-झांसी में प्रभावित 13.049 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2127 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात् कुल 18.1854 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2554 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:-

इस कार्यालय का पत्रांक-1365/11-सी-FP/UP/Road/117342/2020, दिनांक 14.10.2022 व पत्रांक-1331/11-सी-FP/UP/Road/117342/2020, दिनांक 12.10.2022, वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी का पत्रांक-1459/33-1, दिनांक 24.11.2022 एवं वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा का पत्रांक-1628/33-1, दिनांक 24.11.2022

महोदय,

इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्रों के द्वारा इंगित की गयी कमियों का बिन्दुवार निराकरण आपने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्रों के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसके परीक्षणोपरान्त पुनः निम्नलिखित कमियों/अभिलेखों का अभाव पाया गया:-

झांसी वन प्रभाग:-

1. प्रस्ताव में वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र पुनः संलग्न किया गया है, जिस पर पत्रांक, तिथि व जिलाधिकारी की मोहर नहीं है तथा प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल भी गलत अंकित है। अतः सही एवं संशोधित FRA प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें अथवा FRA प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता संलग्न करें एवं ऑनलाइन भाग-1 एवं ऑनलाइन भाग-2 में पूर्व का त्रुटिपूर्ण FRA प्रमाण पत्र डिलिट कर यथास्थान पर उपरोक्तानुसार संशोधित अभिलेख अपलोड करें।
2. ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(iv) में गैर वनभूमि पर CA का प्राक्कलन पुनः अपलोड नहीं किया गया है।
3. प्रस्ताव में संलग्न CA के गैर वनभूमि के Sol Toposheet पर शीर्षक गलत अंकित किया गया है। अतः सही शीर्षक अंकित कर संशोधित Sol Toposheet प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग-1 एवं ऑनलाइन भाग-2 में यथा स्थान पर अपलोड करें।
4. उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की पी०डी०एफ०फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।

हमीरपुर वन प्रभाग:-

1. प्रस्ताव में संलग्न CA के अवनत वनभूमि एवं गैर वनभूमि के Sol Toposheet पर शीर्षक गलत अंकित किया गया है। अतः सही शीर्षक अंकित कर संशोधित Sol Toposheet प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग-1 एवं ऑनलाइन भाग-2 में यथा स्थान पर अपलोड करें।
2. प्रस्ताव में गैर वनभूमि पर संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न कर दिया गया है, किन्तु ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(iv) में अपलोड नहीं किया गया है।
3. ऑनलाइन भाग-2 के Patch wise details for Degraded Area के क्रमांक-13(i) & 13(ii) में अवनत वनभूमि पर वृक्षारोपण का Geo Referenced Digital Map & Sol Toposheet अपलोड नहीं किया गया है। अतः अवनत वनभूमि का Geo Referenced Digital Map & Sol Toposheet कमशः अपलोड करें तथा प्राक्कलन के अनुसार CA की सही धनराशि भी अपलोड करें।
4. ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-15 में वन संरक्षक, बांदा के Site Inspection Report के स्थान पर संस्तुति पत्र अपलोड किया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे डिलिट कर वन संरक्षक, बांदा का Site Inspection Report यथास्थान पर अपलोड करें।
5. उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की पी०डी०एफ०फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03-03 प्रतियाँ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03-03 प्रतियों में उपलब्ध कराये, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

18

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 1863/11-सी-FP/UP/Road/117342/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर एवं झांसी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड, लो०नि०वि०, कानपुर।

15

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।